समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक ..../आ0प्र0

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

अध्यक्षा, जिला परिषद्, मधेपुरा
पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा
असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदा0,मधेपुरा
उप विकास आयुक्त, मधेपुरा
अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्र संगठ्न, मधेपुरा

मधेपुरा, दिनांक................2014

विषय : दिनांक 05-08-2014 को 10:30 बजे पूर्वा0 में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठ्क में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठ्न किया गया है, जिसमें आप सभी पदेन अध्यक्ष /सदस्य हैं।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-295, दिनांक-02-08-2014 एवं विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-04 /आ0प्र0, दिनांक-02-08-2014 द्वारा सूचित किया गया है कि कोशी नदी की उद्‌गम स्थल पर भारी वर्षापात् एवं भू-स्खलन के कारण धारा अवरूद्ध हो गयी है, जिसे नेपाल सरकार द्वारा हटाये जाने पर 10 मीटर की ऊंचाई में धारा का प्रवाह होगा, जिससे कोशी नदी के अंदर तथा पूर्वी तटबंध पर विशेष दवाब बन सकता है एवं उससे क्षेत्र की खासी आबादी प्रभावित हो सकती है, फलस्वरूप कोशी तटबंध के अंदर बसी आवादी को ऊंची जगह पर निष्क्रमित कर प्रभावित क्षेत्र में रिलिफ कैम्प, विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार चलाने का निदेश दिया गया है।

इस संबंध में दिनांक 05-08-2014 को 10:30 बजे पूर्वा0 में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधेपुरा की बैठ्क आयोजित की गयी है। इस बैठ्क का महत्वपूर्ण एजेण्डा निम्नवत् है :-

1-पशु शिविर के संचालन के लिए पशुचारा के दर का निर्धारण।

2-राहत शिविर के संचालन के संबंध में।

3-जिले में उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त अन्य श्रोतो से संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में।

4-जनसहयोग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करने के संबंध में।

5-04 एन0डी0आर0एफ0 टीम तथा 01 कॉलम आर्मी बल के लिए स्थानीय सीम एवं डब्लू0एल0एल0 फोन की सुविधा उपलब्ध कराना।

6-सभी प्रखंडों के राहत कैम्प हेतु प्रतिनियुक्त किए गए वरीय पदाधिकारियों के मोबाईल रीचार्ज कराने के संबंध में।

7-अन्यान्य।

उपरोक्त एजेण्डा को देखते हुए उक्त बैठक में अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा, अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा, अंचल अधिकारी, मधेपुरा, प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, दूरभाष केन्द्र, मधेपुरा को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप भाग लेने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त तिथि को निर्धारित समय पर बैठक में भाग लेने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक 253 /आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक 04.08.14

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा, अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा, अंचल अधिकारी, मधेपुरा, प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, दूरभाष केन्द्र, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं उक्त निर्धारित समय पर बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित।

04/08/14

जिलाधिकारी

मधेपुरा।